

संख्या-433864/E-38026

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 22 सितम्बर, 2026

राज्य योजना के अन्तर्गत बमाणा से घंटाकरण खरसाडी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (डी.पी.आर-14174) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति। (प्रथम चरण)।

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणन, जिसमें मार्ग की लम्बाई 3.00 कि०मी० एवं लागत 4.95 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी सर्वेक्षण धनराशि 4.95 लाख (रुपये चार लाख पित्तानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु रू० 10.00 हजार (रू० दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-14901/xxvii(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाये। यह भी देख लिया जाये कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो आहरण नहीं किया जायेगा, अर्थात् दोहराव की स्थिति नहीं हो, यह सुनिश्चित कर लिया जाये।
- आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

- vii. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-290 XXVII(7)/2012 वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा. वित्त अनुभाग-7 (वे.आ.-सा.नि.) दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 का भी कार्य सम्पादन करने से पूर्व पूर्ण संज्ञान लेते हुए कार्य किया जाये।
- viii. आगणन के अन्तर्गत किसी मद की पुनरावृत्ति न हो व आगे इस कार्य हेतु भेजे जाने वाला आगणन सभी भागों को संकलित करते हुए पुनरीक्षित आगणन के रूप में गठित कर प्रेषित किया जाये, जिससे कि कोई संशय की स्थिति उत्पन्न न हो।
- ix. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- x. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- xi. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रक्योरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा- निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- xii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xiii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- xiv. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2027 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- xv. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xvi. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- xvii. उक्त कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 1403/III/(2)/21-08 (सामान्य)/2020 दिनांक 25.05.2021 द्वारा जारी RFQ एवं TOR का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा
- xviii. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xix. सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1/276791/2025 ई पत्रावली संख्या- 23430[15(सामान्य)/2022] दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान

संख्या-22 लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 04-जिला एवं अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 03-राज्य सेक्टर, 02-नया निर्माण कार्य, 53-वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-1/4333333/2026 दिनांक 18 सितम्बर, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
Mahaveer Singh Chauhan  
Date: 21-09-2026  
16:52:41

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)  
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. - महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. - आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. - जिलाधिकारी, टिहरी।
5. - मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. - सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. - वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. - अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. - अधिशासी अभियन्ता, नि.ख., लोक निर्माण विभाग, नरेन्द्रनगर।
10. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2026 - 2027 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

पत्र संख्या -I/433864/2026  
मुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26090220077  
आवंटन पत्र दिनांक-23-SEP-2026

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिवर्धन  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

| 5               | 0 | 5 | 4 | 0              | 4 | 3                | 3 | 7             | 0 | 3       | 0 | 2 |
|-----------------|---|---|---|----------------|---|------------------|---|---------------|---|---------|---|---|
| मानक मद का नाम  |   |   |   | पूर्व में जारी |   | वर्तमान में जारी |   | अब तक का व्यय |   | योग     |   |   |
| 53-बृहद निर्माण |   |   |   | 4910000        |   | 10000            |   | 0             |   | 4920000 |   |   |
| योग             |   |   |   | 4910000        |   | 10000            |   | 0             |   | 4920000 |   |   |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
“नियोजन-1” उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

E-mail: plhodpwduk@gmail.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक-1197/20 यातायात (वित्तीय स्वीकृति) नियो-1/2026,

दिनांक-28 सितम्बर 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, .....।
2. अधीक्षण अभियन्ता, .....वृत्त, लोक निर्माण विभाग, .....।
3. अधिशासी अभियन्ता, .....खण्ड, लोक निर्माण विभाग, .....।
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

